संख्या- 71/2020/939/71-1-2020-जी-129/2015

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 26 मार्च, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वी0डी0आर0एल0 के लिए औषधि तथा रसायन व सामग्री व सम्पूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/113/1039, दिनॉक 20-03-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में कोरोना वाइरस की समयान्तर्गत रोकथाम व त्वरित उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व मद में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वाईन फ्लू के उपचार हेतु प्रयोगशाला का संचालन हेतु औषधि तथा रसायन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 48,00,000/- (रू0 अड़तालीस लाख मात्र) तथा सामग्री और सम्पूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 25,98,950/- (रू0 पच्चीस लाख अट्ठानबे हजार नौ सौ पचास मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- रीजेण्ट एवं किट्स के मानक व गुणवत्ता की जिम्म्रदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0372-स्वाइन फ्लू के उपचार हेतु प्रयोगशाला का संचालन-39-औषधि तथा रसायन-43-सामग्री और सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-71/2020/939(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
5- वित्त नियंत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, कानपुर, झॉसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, जालौन, कन्नौज आजमगढ़, अम्बेडकर, सहारनपुर, बॉदा तथा बदायूँ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल। आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।